54/24

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/56/2024

श्री ओमप्रकाश पाठक निवासी 189, कृष्णा नगर, भरतपुर राज0 पिन कोड–321001 मो. नं. 8764012292

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.12.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री ओमप्रकाश पाठक निवासी 189, कृष्णा नगर, भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/879 दिनांक 16.12.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक सतर्कता/सू.का.अ./2024/3602 दिनांक 20.12.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि:–

जिला कलक्टर
भरतपुर

......2

54/24
-1.1/24

''....... प्रार्थी/अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश पाठक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अनुसार बिन्दु सं0 03 की सूचनायें इस कार्यालय से संबन्धित नहीं हाने के कारण कार्यालय के पत्रांक सतर्कता/2024/3232 दिनांक 29.11.2024 से जरिये पंजीकृत डाक संख्या RR417458034IN से अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। इसके साथ ही बिन्दु सं0 01 व 02 की सूचना हेतु पत्रांक सतर्कता/2024/3233–34 दिनांक 29.11.2024 से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भरतपुर को प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया जा चुका है। इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार इस कार्यालय स्तर पर कोई भी कार्यवाही शेष नहीं है।.....''

उक्तानुसार प्राप्त जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा मूल आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र में चाही गई 3 बिन्दुओं की सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब दिया जा चुका है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वह चाही गई सूचना हेतु सम्बन्धित कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करें। आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भरतपुर को इस आश्य के साथ प्रषित की जाती है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी प्रेषित की जाती है। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर